उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-20/2016/396/94-स्टा०नि०-2-2016-700(97)/2016

लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई, 2016

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना के अधीन मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टीमॉडल ट्रान्सपोर्ट हब के लिए इक्विटी और विकसित भूमि के रूप में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लि० के प्रयोजन हेतु गठित एस०पी०वी० के पक्ष में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के हस्तान्तरण के विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते है।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2016/396/94/स्टा०-नि०-2-2016-700(97)/2016, दिनांक 20 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 20-06-2016 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2016/396/94/स्टा०-नि०-2-2016-700(97)/2016, दिनांक 20 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन (औद्योगिक विकास अनुभाग-4) के पत्र संख्या-725/77-4-16-12एन/07(एस०एच०ए०), दिनांक 04-04-2016 के क्रम में।
2. प्रमुख सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधिनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
10. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग बन्धु उत्तर प्रदेश।
11. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
12. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan

Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.20/2016/396/94-S.R.-2-2016-700(97)/2016, dated 20 July, 2016 for general information.

Notification

Order

No.20/2016/396/94-S.R.-2-2016-700(97)/2016

Lucknow, Dated 20 July, 2016

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit stamp duty payable on the deed of transfer of land by Greater Noida Industrial Development Authority in favour of the Special Purpose Vehicle (S.P.V.) constituted for the purposes of Integrated Industrial Township Greater Noida Ltd. in the form of equity and developing land for multimodel logistic hub and multimodel transport hub, under the Delhi-Mumbai Industrial Corridor project.

By Order

(Anil kumar)
pramukh sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।